VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS
(योजना पत्रिका विश्लेषण)
(हमारा संविधान और कानूनी सुधार)
(November 2024)
(Part II)

TOPICS TO BE COVERED

- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका
- आपराधिक न्याय प्रणाली का विउपनिवेशीकरण: BNS के प्रभाव का मूल्यांकन

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका:

भारतीय संविधान एक 'सुधारवादी संविधानवाद' की रूपरेखा:

- ग्रेनविले ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने "भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का माध्यम बताया है"।

- भारतीय संविधानवाद को 'उदारवादी संविधानवाद' की सीमित आशंकाओं से अलग करने के लिए 'सुधारवादी संविधानवाद' की रूपरेखा तैयार की गई है। संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात को दर्शाया है कि किस प्रकार भारत के संविधान में समाज को नया रूप देने की शक्ति निहित है।
- भारतीय संविधानवाद उदारवादी संविधानवाद के सीमित उद्देश्यों से भिन्न है। उदारवादी संविधानवाद के रूप में अमेरिकी संविधानवाद की नींव सत्ता के प्रति गहरे अविश्वास पर आधारित थी, जिसका औचित्य राजनीतिक सत्ता के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करना, उस पर अविश्वास करना और उसे सीमित करना था।

- जबकि भारत में संविधानवाद इस प्रकार की संयमित और नियंत्रित सत्ता तथा राजनीति की अवधारणा का पालन नहीं करता है। भारतीय संविधानवाद, सत्ता की सीमा को परिभाषित करने के साथ-साथ उसके कार्य-क्षेत्र का विस्तार करता है और इसे बढ़ावा देता है।

भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का माध्यम:

- भारतीय संविधान जाति तथा धर्म जैसी ऐतिहासिक प्रथाओं को राजनीतिक सत्ता में बदलाव के अधीन लाता है।
- इसका उद्देश्य समाज को स्थापित सामाजिक वर्गीकरण की बाधाओं से मुक्त कराना और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के एक नए युग की शुरुआत करना था।
- भारतीय संविधान, संवैधानिक सिद्धांत में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से सत्ता से वंचित रखे गए लोगों को अस्तित्व का एक ठोस आधार प्रदान करता है जिन्हें अन्य लोगों की तुलना में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।
- भारतीय संविधान को स्वीकार किए जाने के साथ ही करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया विशेष रूप से गरीबी वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहली बार 'समान अधिकार प्राप्त होने' और उनके साथ 'समान व्यवहार होने' की उम्मीद मिली।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

संविधान के प्रमुख प्रावधानों जो सामाजिक क्रांति के वाहक:

'उद्देश्य प्रस्ताव':

- 'उद्देश्य प्रस्ताव' ने सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की।
- केएम पणिक्कर ने जोर देते हुए कहा कि "संविधान भारत के लोगों के प्रति इस बात की गंभीर प्रतिबद्धता है कि विधायिका नए सिद्धांतों के आधार पर समाज को सुधारने और इसका पुनर्निर्माण करने का प्रयास करेगी"।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:

- किसी वर्गीकृत समाज में, 'एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य' के सिद्धांतों पर आधारित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को स्थापित करना एक क्रांतिकारी कदम था।
- ऑस्टिन का दावा है कि वयस्क मताधिकार ने उन लाखों लोगों को सशक्त बनाया जो कभी अपने हितों के प्रतिनिधित्व के लिए दूसरों की इच्छा पर निर्भर थे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सामाजिक क्रांति के वाहक मौलिक अधिकार के कुछ प्रावधान:

- ऑस्टिन के अनुसार जहां मौलिक अधिकार लोगों और अल्पसंख्यक समूहों को सरकार की मनमानी और भेदभावपूर्ण कार्रवाई से बचाते हैं।
- कुछ मौलिक अधिकार प्रावधानों का उद्देश्य व्यक्तियों को अन्य नागरिकों के अन्यायपूर्ण कार्यों से बचाना है। जैसे: अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है; अनुच्छेद 15 (2) यह निर्दिष्ट करता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, रेस्तरां, कुओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों के उपयोग में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा; अनुच्छेद 23 उन प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है जो, अपितु पूर्व में राज्य द्वारा समर्थित थीं और मुख्यतः जमींदारों और किसानों के बीच संघर्षों से जुड़ी थीं।
- परिणामस्वरूप, राज्य को नागरिकों की विशिष्ट स्वतंत्रता के उल्लंघन पर संविधान के प्रतिबंधों का पालन करने के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों की सामाजिक हस्तक्षेप से रक्षा करने के लिए अपनी सकारात्मक जिम्मेदारी को भी पूरा करना होता है।
- मौलिक अधिकारों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति को बढ़ावा देते हुए एक ऐसा समाज स्थापित करना था जिसमें सभी नागरिकों को राज्य द्वारा या व्यापक स्तर पर

समाज के द्वारा लगाए गए किसी भी दबाव या प्रतिबंध से समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त हो।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण का प्रयास:

- भारतीय संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करते हुए उन्हें विधायी आरक्षण प्रदान करता है तथा इन समूहों के साथ-साथ सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के लोगों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अनिवार्य कोटे की व्यवस्था करता है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान, जो सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं:

'हम लोग':

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह वाक्यांश सुधारवादी लक्ष्य को व्यक्त करता है। 'हम लोग' एक नई पहचान देता है और उन लोगों के लिए समान अवसर और स्थिति सुनिश्चित करता है, जिनकी पहचान पहले जाति, धार्मिक और जातीय व्यवस्थाओं के द्वारा तय की गई थी।

- औपनिवेशिक नियंत्रण से स्वतंत्रता की एक महत्वपूर्ण घोषणा के साथ-साथ यह कानूनी महत्व का भी है। उल्लेखनीय है कि कैबिनेट मिशन योजना के आदेश से, भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई, जिसे स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। 'हम लोग' 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम और कैबिनेट मिशन योजना की कानूनी बाध्यताओं से परे उल्लेखनीय बदलाव का प्रतीक है।

समानता का अधिकारः

- भारत का संविधान औपचारिक समानता के विचार से परे जाकर स्पष्ट रूप से वास्तविक अर्थ में समानता के विचार को मान्यता देता है और इसके अनुसार वंचित वर्गों के हितार्थ जो विशेष सुरक्षात्मक कानून हैं, उनकी व्याख्या गैरकानूनी भेदभाव के रूप में नहीं की जानी चाहिए।

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व:

- राज्य के नीति निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति को अधिक स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में परिभाषित करते हैं। ऑस्टिन (1972) के अनुसार, इन अवधारणाओं के पीछे का उद्देश्य भारत की जनता को मुक्त करना - अर्थात उन्हें सामाजिक और प्राकृतिक बाधाओं से आजाद करना था।

सुधारवादी संविधानवाद सामाजिक न्याय के आदर्श पर केन्द्रित है:

- उल्लेखनीय है कि 'उदारवादी संविधानवाद' की प्रमुख रूपरेखा में, राज्य को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है, जिसके पास लोगों के जीवन को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती।
- जबकि 'सुधारवादी संविधानवाद' में फोकस निष्पक्ष राज्य और संरचनात्मक शक्ति विभाजन से हटकर राज्य की 'सुधारवादी क्षमता' पर केंद्रित हो जाता है।
- भारतीय संविधान का कार्य राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था को भी इस प्रकार समायोजित करना होता है ताकि वह राजनीतिक व्यवस्था के साथ सामंजस्यपूर्ण हो सके।
- नई बुनियाद पर समाज का पुनर्निर्माण करना ही सुधारवादी संविधानवाद का मुख्य विषय है। एक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक शर्त स्थापित करने की राज्य की क्षमता को सुनिश्चित करना संविधान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। सुधारवादी संविधानवाद का विचार सामाजिक न्याय के आदर्श पर केन्द्रित है।

आपराधिक न्याय प्रणाली का विउपनिवेशीकरण: BNS के प्रभाव का मूल्यांकन

परिचय:

- कानून के विषय शीर्षकों में प्रयुक्त शब्द अक्सर उनके रचे जाने के पीछे की वास्तविक मंशा को प्रकट करते हैं।

- ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत के प्रचलित आपराधिक कानूनों को उस युग की मानसिकता के अनुरूप ढाला। ये कानून 1857 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रदान करना नहीं था बल्कि भारतीय प्रतिरोध को दबाना और ब्रिटिश सत्ता का विरोध करने वालों को दंडित करना था।
- ब्रिटिश संसद ने इन कानूनों को भारतीय जन साधारण को नियंत्रित करने और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए बनाया था। इस संदर्भ में 'दंड' (पीनल) शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहता है।

आपराधिक न्याय प्रणाली में वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया:

- उल्लेखनीय है कि स्वातंत्र्योत्तर भारत को अपना अलग कानूनी ढांचा स्थापित करने में 75 साल लग गए। तीन नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत आपराधिक कानूनों के उपनिवेशवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत सरकार का यह ऐतिहासिक प्रयास सराहनीय है और भारत को उसकी औपनिवेशिक कानूनी विरासत से पीछा छुड़ाने के लिए प्रशंसा योग्य है।
- ये तीन नए आपराधिक - कानून, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (पहले आईपीसी, 1860), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2024 (BNSS) (पहले सीआरपीसी 1973), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (पहले इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872), 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गए हैं।
- संसद में पहली बार पेश किए जाने के बाद से ही संशोधन विधेयक की कड़ी आलोचना हो रही है। इसके खिलाफ मुख्य तर्क यह है कि इसमें कोई बड़े बदलाव नहीं हैं केवल धाराओं में फेरबदल किया गया है।

- ऐसे में इन सुधारों की आवश्यकता का आकलन करना और न्याय वितरण प्रणाली पर उनके संभावित प्रभाव का पता लगाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित दो बातों को जानना आवश्यक है:

    1. भारतीय दंड संहिता, 1860 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) के बीच अंतर
    2. BNS के तहत जोड़े गए नए प्रावधान और उनकी प्रासंगिकता।

आपराधिक न्याय प्रणाली में 'दंड' से 'न्याय' तक का सफर:

दंड और न्याय के बीच का अंतर:

- इंडियन पीनल कोड (IPC) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के बीच मुख्य तार्किक अंतर दंड और न्याय के बीच का अंतर है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) न्याय पर बल देती है, जबकि IPC मुख्य रूप से दंड पर ध्यान केंद्रित करती है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) में हुए परिवर्तनों के साथ विचार करने पर यह बदलाव अधिक स्पष्ट हो जाता है।

- भारत में न्याय की अवधारणा पश्चिम में न्याय की सोच से काफी अलग है। भारतीय दर्शन राष्ट्र और कमजोर लोगों को राष्ट्र-विरोधी और अराजकतावादी ताकतों से बचाने को प्राथमिकता देता है।
- 'मत्स्य न्याय' शक्तिशाली मछलियों से छोटी मछलियों की रक्षा करने में न्याय के महत्व को दर्शाता है जो कमजोर लोगों की सुरक्षा का प्रतीक है। इस प्रकार न्याय का प्रमुख उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना है।
- ऐसे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाती है।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष बल:

- BNS महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को धारा 63 से 99 में प्राथमिकता देता है जबकि आईपीसी में बाद में इसी तरह की सुरक्षा मिलती है (धारा 326 और उसके बाद)।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कई नए अपराधों को सामने लाती है जो भारतीय दंड संहिता (IPC) में मौजूद नहीं थे और इस प्रकार ऐसे अपराधों को संबोधित करती है जिनमें विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का अभाव था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इसके अतिरिक्त, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड में काफी वृद्धि की गई है। इसका उद्देश्य संभावित अपराधियों पर एक मजबूत निवारक प्रभाव डालना और इन कमजोर वर्गों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई नए अपराध शामिल:

- इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता (BNS) में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कई नए अपराध शामिल हैं जो IPC का हिस्सा नहीं थे। देश के लिए उभरते आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए ये प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।
- राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के उद्देश्य से बनाए गए नए प्रावधान भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप हैं जो संप्रभुता के सिद्धांत से शुरू होता है।
- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एक सुरक्षित और संरक्षित राष्ट्र ही अपने नागरिकों के अधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा कर सकता है।

BNS के तहत जोड़े गए नए प्रावधान और उनकी प्रासंगिकता:

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ नए अपराध:

- **धोखे से यौन संबंध बनाना:**
  - हाल में देश भर में 'पहचान छिपाकर विवाह करने' के कई मामले सामने आए हैं जिसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है।

- ➢ भारत में शोषणकारी रिश्तों और जघन्य अपराधों में वृद्धि देखी गई है फिर भी नीति-निर्माताओं और न्यायपालिका ने इन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण पीड़ित और उनके प्रियजन असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
- ➢ लेकिन BNS में धारा 69 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि 'कोई भी धोखे से या किसी महिला से शादी करने का वादा करके उसे पूरा करने के इरादे के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो ऐसा यौन संबंध हालांकि बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है पर उसे दस साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा'।

- **बच्चे को अपराध को करने के लिए भाड़े पर लगाने से रोकना:**

- ➢ BNS की धारा 95 के तहत, जो कोई भी किसी बच्चे को अपराध को करने के लिए भाड़े पर लगा या नियुक्त करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल से कम नहीं होगा, लेकिन उसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और उसे जुर्माना भी भरना पड़ेगा और यदि अपराध किया जाता है तो उस अपराध के लिए प्रदान की गई सज़ा से भी दंडित किया जाएगा जैसे कि अपराध उस व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो।

➢ उल्लेखनीय है कि नाबालिगों को आपराधिक दायित्व से दी गई छूट का अक्सर खूंखार अपराधियों द्वारा फायदा उठाया जाता है जो अपराध करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार दोनों पक्षों को छूट मिल जाती है।

➢ यह नया प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य इस कानून की खामियों को दूर करने के साथ-साथ बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है जो विशेष रूप से ऐसे अपराधियों द्वारा छल के शिकार बनते हैं।

मानव शरीर के विरुद्ध नए अपराध:

- **भीड़ द्वारा हत्या को रोकना:**

➢ "जब पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा"।

➢ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) विशेष रूप से भीड़ द्वारा हत्या को संबोधित करती है। इस नए अपराध को शामिल करके सरकार ने हिंसा के ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए कानूनी उपायों को मजबूत करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी ढंग से लागू किया है।

- **स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में:**

  ➢ BNS के अंतर्गत कोई अपराध करता और ऐसा करते समय किसी व्यक्ति को ऐसी चोट पहुंचाता है जिससे वह व्यक्ति स्थायी विकलांगता या स्थायी निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है तो उसे कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है जिसका अर्थ है उस व्यक्ति के शेष जीवन तक के लिए कारावास"।

  ➢ हमें अरुणा शानबाग के दुःखद मामले को याद रखना चाहिए, जहां पीड़िता 42 वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में रही फिर भी आरोपी को हमले और डकैती के लिए केवल मामूली सजा मिली।

  ➢ यह नया प्रावधान पीड़ित को स्थायी विकलांगता या स्थायी निष्क्रिय अवस्था में छोड़ने वाले अपराधों के लिए कठोर दंड लगाकर लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करता है जिससे ऐसे गंभीर अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित होता है।

राष्ट्र के विरुद्ध अपराध:

- **आतंकवादी कृत्य के बारे में बात करती है:**
  - “कोई भी व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने या खतरे में डालने की संभावना के इरादे से या भारत या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के इरादे से कोई कार्य करता है, वह आतंकवादी कृत्य करता है"।
  - उल्लेखनीय है कि अब तक, 'आतंकवाद' शब्द को कानूनी रूप में स्पष्ट रूप में परिभाषित नहीं किया गया था। यह आतंकवाद को परिभाषित करने का पहला व्यापक और समावेशी प्रयास है जो निस्संदेह राष्ट्र को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों सहायता करेगा।
- **भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य:**
  - "कोई भी व्यक्ति जो इरादतन या जानबूझकर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने का प्रयास करता है, या अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देता है या भारत की संप्रभुता, एकता और

अखंडता को खतरे में डालता है या ऐसा कोई कार्य में शामिल होता है या करता है उसे आजीवन कारावास या सात साल की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ता है"।

➢ उल्लेखनीय है कि IPC में धारा 124A के तहत 'राजद्रोह' को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया था। BNS ने 'राजद्रोह' को समाप्त कर दिया और इस धारा के तहत एक नए अपराध के रूप में 'राष्ट्रद्रोह' को लागू किया।

➢ *जबकि धारा 124A 'सरकार' पर केंद्रित थी, अब धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर जोर देती है।*

- **भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत के भीतर किए जाने वाले अपराध के लिए उकसाने के बारे में:**

➢ "कोई व्यक्ति इस संहिता के अर्थ में अपराध को बढ़ावा देता है, भारत से बाहर तथा उससे परे भारत में किसी ऐसे कार्य के लिए उकसाता है जो भारत में किए जाने पर अपराध माना जाएगा"।

➢ उल्लेखनीय है कि भारत ऐतिहासिक रूप से बाहरी प्रभावों और अस्थिर करने वाली ताकतों के प्रति संवेदनशील रहा है जो इसकी सीमाओं के बाहर से उत्पन्न होती हैं।

➢ यह प्रावधान भारत के बाहर स्थित किसी ऐसे दुष्प्रेरक पर भी जवाबदेही डालता है जो किसी को देश के भीतर अपराध करने के लिए उकसाता है।

➢ इसके अलावा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत दुष्प्रेरक के अनुपस्थित होने पर भी मुकदमा चल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए व्यक्ति को पकड़ने और प्रत्यर्पित करने की आवश्यकता को समाप्त करता है और उसकी मौजूदगी के बिना मुकदमा आगे बढ़ सकता है।

नई सजा की व्यवस्था:

- BNS की धारा 4 के तहत सामुदायिक सेवा को सजा के रूप में जोड़ा गया है।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय दर्शन में, 'प्रायश्चित' 'व्यवहार विधि' का एक प्रमुख पहलू है। BNS में 'सामुदायिक सेवा' की अवधारणा के माध्यम से इस सिद्धांत को शामिल करने का प्रयास किया है।
- यह प्रावधान विशेष रूप से पहली बार अपराध करने वाले लोगों के लिए है जो छोटे अपराध करते हैं।